वेब पेजेस

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, रायपुर

<u>वेब पेज</u>

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता है

प्रारंभिक जानकारी :

छत्तीसगढ़ राज्य, दिनांक 1 नवंबर 2000 को अलग होकर अस्तित्व में आया । छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिले निम्नानुसार है –

रायपुर, धमतरी, महासमुंद,दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, जषपुर,अंबिकापुर तथा कोरिया पूर्ण रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं । राज्य में कुल 146 विकासखंड हैं, इनमें आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85 है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा (5 सामान्य, 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति) हैं, एवं 90 विधानसभा क्षेत्र हैं । विधान सभा क्षेत्रों में 44 क्षेत्र (34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति) सुरक्षित हैं ।

राज्य की कुल जनसंख्या (जनगणना 91) 176.15 लाख है । इनमें से अनुसचित जनजातियों की जनसंख्या 57.17 लाख है, एवं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 21.49 लाख है ।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की अवधारण जारी है । प्रमुख जनजाति गोंड तथा इसकी उपजातियां–माड़िया, मुरिया,दोरला आदि है । इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, संवरा, नगेषिया, मझवार, खरिया और धनवार जनजाति काफी संख्या में हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विषेष पिछड़ी जनजातियां, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, निवासरत हैं । इनके आर्थिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित है ।

<u>प्रशासनिक संरचना :</u>

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की प्रषासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री एवं राज्य मंत्री के निर्देषन में विभागीय एवं प्रषासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है ।

अ. मंत्रालय/सचिवालयः–

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव पद का पद है । यहां राज्य शासन के समस्त प्रषासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा की जाती हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र एवं उपयोजना क्षेत्र के प्रषासनिक कार्यो की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित होती है ।

प्रमुख सचिव/सचिव के अधिनस्थ विभागीय कार्यो के संपादन के लिये संयुक्त सचिव, अवर सचिव, उपसचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विषेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कर्तव्यरत् हैं ।

ब. विभागाध्यक्ष :–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन संयुक्त रूप से किया गया है, जिसमं आयुक्त के रूप में विभगाध्यक्ष नियुक्त किया गया है । मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उप–आयुक्त, सहायक आयुक्त कार्यरत् हैं ।

स. जिला स्तर :–

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, प्रषासनिक कार्य एवं विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को विभागीय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से जिलों में एवं परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी, सहा. परियोजना अधिकारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खंड षिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्य संपादित किये जाते हैं ।

द. जिला स्तरीय कार्यालय

प्रदेष के 16 जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आदिवासी बाहुल्य 12 जिलों में सहायक आयुक्त एवं शेष 4 जिला में जिला संयोजक पदस्थ है । परियोजना स्तर पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हेतु 18 पद परियोजना प्रषासक के स्वीकत है ।

प्रदेष के 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड घोषित है इन विकासखंडा में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं 85 विकासखंड षिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं ।

विभागीय दायित्व

1. संविधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिये प्रहरी के रूप में कार्य रहना ।

2. अनुसूचित जाति/जनजाति के शौक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये योजनाओं का संचालन ।

3. आदिवासी उपयोजना तथा विषेष घटक योजन के कियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना ।

4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन ।

5. विषेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निमार्ण एवं कियान्वयन ।

6. विषेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना ।

7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देषानुसार कार्यकमों/योजनाओं का संचालन ।

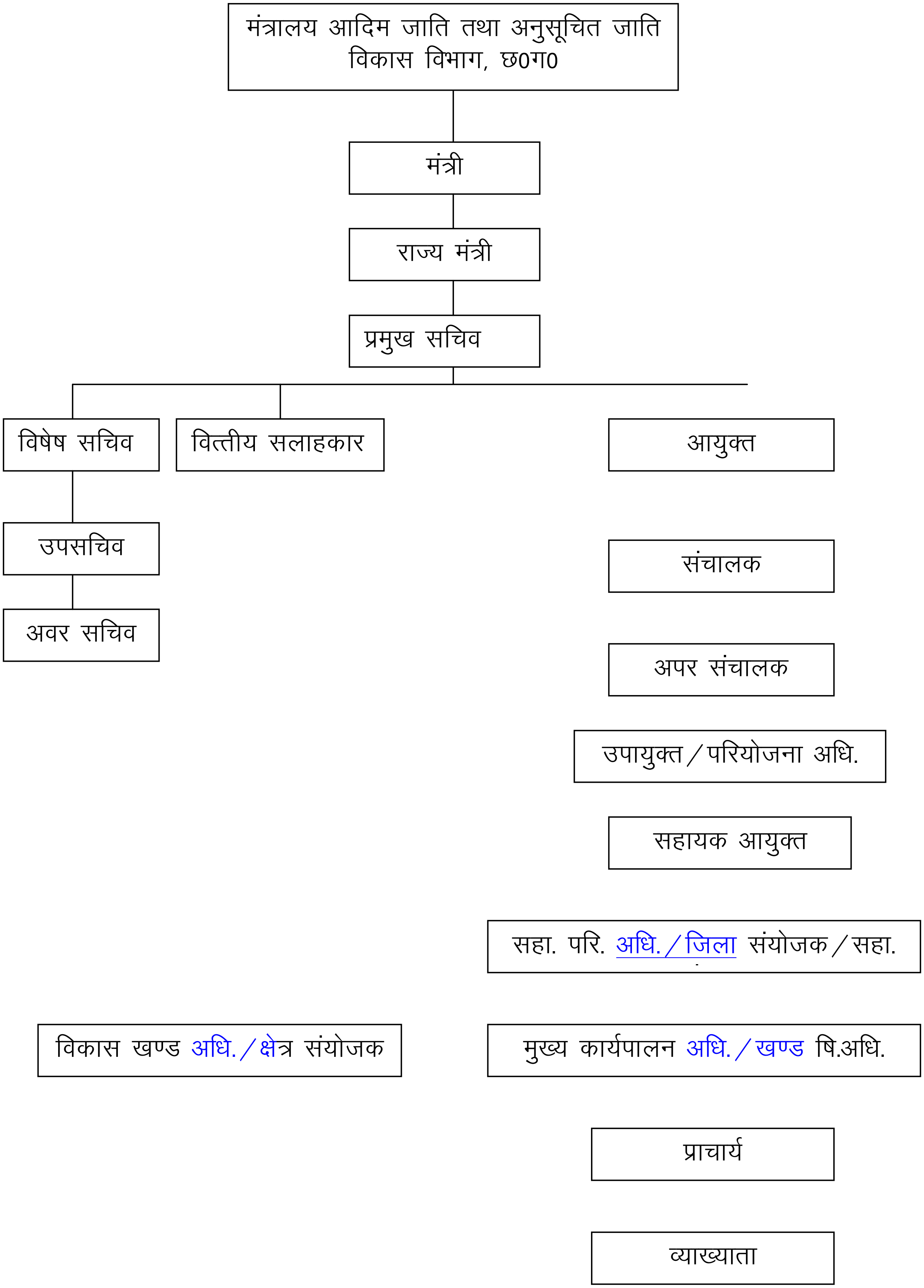
मंत्रालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ0ग0
मंत्री
राज्य मंत्री
प्रमुख सचिव
विषेष सचिव
वित्तीय सलाहकार
आयुक्त
उपसचिव
संचालक
अवर सचिव
अपर संचालक
उपायुक्त/परियोजना अधि.
सहायक आयुक्त
सहा. परि. अधि./जिला संयोजक/सहा.
विकास खण्ड अधि./क्षेत्र संयोजक
मुख्य कार्यपालन अधि./खण्ड षि.अधि.
प्राचार्य
व्याख्याता

विभाग का कार्य :–

1. विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रषासकीय कार्य ।

2. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का कियान्वयन एवं अनुश्रवण ।

3. उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन ।

4. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिये बजट आबंटन उपलब्ध कराना । मांग संख्या 33,41,15,64,77,49 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का कियान्वयन ।

5. आदिवासी उपयोजना तथा विषेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आबंटन को निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण ।

6. विषेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन । केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण

7. विषेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं कियान्वयन ।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण ।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण 1995 के राज्य में कियान्वयन की समीक्षा ।

विधि प्रकोष्ठः–

विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया गया है विधि प्रकोष्ठ को उच्चन्यायलय/न्याधिकरण में प्रस्तुत मामलों का जवाबदावा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है । यह प्रकोष्ठ वर्तमान में मुख्यालय से संबध्द होकर कार्य कर रहा है ।

जिला स्तर :–

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी :–

त्रिस्त्रीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत आदिवासी जनसंख्या बहुल जिलों में विकास कार्यकमों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पदेन

अपर आयुक्त आदिवासी विकास घोषित किया गया है तथा प्रषासकीय एवं वित्तीय अधिकार भी प्रत्योजित किये गये हैं ।

2. विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय :–

प्रदेष में 16 जिलों में विभागीय जिला कार्यालय स्थापित हैं । जिनका विवरण निम्नानुसार है ।

अ. सहायक आयुक्त :–

आादिवासी बहुल 12 जिलों में विभागीय योजनाओं के कियान्वयन के लिये सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं । इन जिलों के नाम हैं रायपुर, दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जषपुर, सरगुजा एवं कोरिया ।

ब. जिला संयोजक :–

4 जिलों में विभागीय योजनाआों के कियान्वयन हेतु जिला संयोजक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं । इन जिलों के नाम हैं:– जांजगीर–चांपा, महासमुंद, धमतरी, एवं कवर्धा (कबीर धाम)

3. उपयोजना क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास तथ आयोजना के लिये एकीकत आदिवासी विकास परियोजना, माड़ा पाकेट एवं लघु अंचलों का गठन किया गया है । राज्य में 18 एकीकत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचल वर्तमान में संचालित है । एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा पाकेट एवं लघु अंचलों का गठन किया गया है । राज्य में 18 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचल वर्तमान में संचालित है । एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में सहायक परियोजना अधिकारी विभागीय दायित्वों के निर्वहन के लिये पदस्थ हैं । उपयोजना क्षेत्र की सबसे छोटी प्रषासनिक इकाई विकासखंड है

3.1 उपयोजना क्षेत्रों का विस्तार एवं जनसंख्या :–

अ. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाऐं

क्र0	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	विकासखंड संख्या पूर्ण	आंशिक	जनसंख्या कुल	आदिवासी	प्रतिशत	गांवों की संख्या
1.	जगदलपुर	7	–	534150	363719	68.09	613
2.	भानुप्रतापपुर (मुख्यालय कांकेर)	5	–	363068	227154	62ण57	570
3.	नारायणपुर	4	–	256031	149036	58.21	704
4.	कोण्डागांव	5	–	365520	265682	72.69	537
5.	दन्तेवाड़ा	4	–	214321	148899	69.47	237
6.	कोन्टा (मुख्यालय सुकमा)	3	–	176592	14621	83.14	333
7.	बीजापुर	4	–	191268	155976	81.55	737
8.	कोरबा	4	2	832081	367092	44.12	820
9.	गौरेला	3	4	381248	233789	61.32	507
10.	पाल	5	–	399689	259276	64.87	555
11.	जषपुर	7	–	492980	326856	66.30	657
12.	धारमजयगढ़	6	–	590140	357160	60.52	757
13.	गरियाबंद	4	–	356862	189217	53.02	743
14.	डौंडी लोहारा	1	3	305880	153742	50.26	382
15.	राजनांदगांव	3	3	294107	180883	61.50	668

17.	सूरजपुर	6	–	512948	241331	47.05	553
18.	बैकुण्ठपुर	5	–	448840	212203	47.28	666
	योग	**85**	–	**7309157**	**4364162**	**59.71**	**10706**

ब. माडा पाकेट

क्र0	माडा पाकेट	विकासखंड		जनसंख्या (जनगणना 1991)			गांवो की
		पूर्ण	आंशिक	कुल	आदिवासी	प्रतिशत	संख्या
1.	महासमुंद–1	–	3	111552	58440	52.39	200
2.	महासमुंद–2	–	3	70369	38103	54.15	215
3.	बलौदाबाजार	–	2	61586	34453	55.94	148
4.	गंगरेल	–	1	11254	5916	52.57	43
5.	रूकजा	–	1	19886	10337	51.98	46
6.	सारंगढ़	–	2	22873	11930	52.16	100
7.	गोपालपुर	–	1	13786	7889	57.22	33
8.	कवर्धा	–	1	53869	38454	71.38	247
9.	नचनिया	–	2	14728	9455	64.20	77
	योग	–		**379903**	**214977**	**56.49**	**1108**

स– लघु अंचल

क्र0	माडा पाकेट	विकासखंड		जनसंख्या (जनगणना 1991)			गांवो की
		पूर्ण	आंशिक	कुल	आदिवासी	प्रतिशत	संख्या
1.	बछेरा भाटा	–	3	11521	7902	68.59	50
2.	धुरीबंधा	–	2	41214	7464	52.51	25
	योग	–		**25735**	**15366**	**59.71**	**75**

3.2 परियोजना के गठन के उद्देश्य :–

अ. परियोजना क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिये योजना/प्रोजेक्ट तैयार कराना ।

ब. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा तथा उनमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर कराना ।

स. परियोजना क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों में, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कराना ।

द. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों में आवष्यक निगरानी रखना ।

ई. परियोजनाओं के नियोजन संबंधी कार्य संपादित करना । यथा,

1. आदिवासी उपयोजना (मांग संख्या–41,42 एवं 68) के अंतर्गत योजनाएं तैयार कराना ।

2. विषेष घटक योजना (मांग संख्या–15,64) के अंतर्गत योजनाएं तैयार करना ।

3. विषेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाएं तैयार करना ।

4. संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाएं व कार्यक्रम तैयार करना ।

5. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्थानीय आवष्यकता को ध्यान में रखाते हुए विषेष योजनाएं बनाना ।

6. वार्षिक योजना एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करना ।

8. पंचवर्षीय योजनाएं व वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना ।

3.3 विकासखंड स्तर :–

अ. विकासखंड अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतः –

राज्य के 85 विकासखंड, आदिवासी विकासखंड घोषित हैं, इन विकासखंडों में विभागीय विकासखंड अधिकारी पदस्थ हैं । इन विकासखंडों से, विभाग की योजनाओं के साथ–साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं के साथ–साथ अन्य विकास पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इन विकासखंडों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया है ।

ब. विकासखंड शिक्षा अधिकारी :–

विभाग अंतर्गत विकासखंड स्तर पर 85 विकासखंड षिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं ।

4. महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी :–

1.	राज्य का क्षेत्र	135133 वर्ग कि.मी.
1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88वर्गकिमी.
1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
1.2.1	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिषत	65.12
2.	जनसंख्या (1991)	176.15 लाख
2.1	अनुसूचित जनजाति	57.17 लाख 32.45%
2.2	अनुसूचित जाति	21.49 लाख 12.19%
2.3	अन्य पिछड़ा वर्ग	60.54 लाख 64.36%
2.4	अल्प संख्यक	07.01 लाख 3.97%
	योग	**146.21 लाख 82.97%**

3. साक्षरता प्रतिषत (वर्ष 2001) 65.12 (पुरूष–77.86) (महिला–52.28)

4. जिला 16

4.1 पूर्णतः आदिवासी उपयोजना क्षेत्र–7
में शामिल जिले– बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जषपुर ।

4.2 आंषिक रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल जिले 9 हैं जो निम्नानुसार हैं– रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद,धमतरी,जांजगीर–चांपा, कवर्धा (कबीरधाम)

5. आदिवासी विकासखंड 85

6. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना 18

7 माडा पाकेट 09

8. लघु अंचल 02

9. विषेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण 06

5. विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :–

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विषेष पिछड़ी जनजातियों अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर एवं बैगा के विकास के लिये विषेष अभिकरण का गठन किया गया है ।

5.1 विशेष पिछड़ी जाति अभिकरणों में ग्रामों की संख्या तथा जन संख्या–

छतीसगढ़ के 10 जिलों में निवासरत इन जनजातियों की संख्या 1,12,594 है । विषेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु 6 जिला स्तरीय अभिकरण प्रदेष में गठित है । अभिकरणवार विषेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या एवं साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है :–

अभिकरणों में ग्रामों की संख्या तथा जनसंख्या (सर्वेक्षण) 2002

क0 पिछडी	अभिकरण का नाम	जिला	ग्रामों की संख्या	विशेष जनसंख्या
1.	बैगा विकास प्राधिकरण	कवर्धा	218	29303
2.	बैगा/पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण	बिलासपुर	74	13970
3.	बिरहोर/पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण	जषपुर कोरबा	120	11831
4.	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, सरगुजा	सरगुजा रायगढ़	264	20630
5.	कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद	रायपुर धामतरी	263	17459
6.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर	बस्तर	237	19401
	योग		**1176**	**112594**

6. विशेष पिछड़ी हुई जनजातियों मे साक्षारता वृध्दि :–

विगत् दषक में (वर्ष 1992–93 वर्ष 2002–03) विषेष पिछड़ी जनजातियों की साक्षारता में उल्लेखनीय वृध्दि हुई है । वर्तमान में प्रत्येक 25 विद्यार्थियों (विषेष पिछड़ी जनजातियों) के लिये एक आवासीय शैक्षणिक संस्था उपलब्ध है । जिसका परिणाम यह है कि विषेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृध्दि हुई है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क0	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 1992–93	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2002–03
1.	कमार	8.82 %	32.76 %
2.	अबूझमाड़िया	2.28%	24.24%
3.	पहाड़ी कोरबा	15.55%	43.58%
4.	बैगा	7.77%	19.81%
5.	बिरहोर	1.81%	11.58%

7. स्थानीय (क्षेत्रीय) विकास कार्यकम– (उपयोजना क्षेत्र)

स्थानीय विकास कार्यकमों के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा एवं लघु अंचल क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों के विकास के लिये कार्यकम संचालित किये जाते हैं ।

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किये गये हैं ।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (संपूर्ण) ।
2. कोरिया जिला (संपूर्ण) ।
3. बस्तर जिला (संपूर्ण) ।
4. दंतेवाड़ा जिला (संपूर्ण) ।
5. कांकेर जिला (संपूर्ण) ।
6. कोरबा जिला (संपूर्ण) ।
7. जषपुर जिला (संपूर्ण) ।
8. बिलासपुर जिले के मरवाही आदिवासी विकासखंड ,गौरेला आदिवासी विकास एव गौरेला सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड ।
9. दुर्ग जिले की बालोद तहसील का डोण्डी आदिवासी विकासखंड ।
10. राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव तहसील का मानपुर, मोहला (राजनांदगांव एवं चौकी) आदिवासी विकासखंड ।
11. रायपुर जिले की बिन्द्रानवागढ़ तहसील के गरियाबंद, मैनपुर एवं छुरा आदिवासी विकास खंड ।
12. धमतरी जिले का सिहावा (नगरी) आदिवासी विकासखंड ।
13. रायगढ़ जिले की उदयपुर एवं घरघोड़ा तहसीलें तथा रायगढ़ तहसील का खरसिया आदिवासी विकासखंड का भाग ।

प्रदेश के आदिवसी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :—

क0	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
		2. कोण्डागांव		
		3. नारायणपुर		
2.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
3.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
		6. कोन्टा		
		7. बीजापरु		
4.	रायपुर	8. गरियाबन्द	1. बालोदाबाजार	1. धुरीबंधा
5.	धामतरी		2. गंगरेल	
6.	महासमुंद		3. महासमुंद—1	
			4. महासमुंद—2	
7.	दुर्ग	9. डोण्डीलोहार		
8.	राजनांदगांव	10. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
9.	कवर्धा		6. कवर्धा	
10.	सरगुजा	11. अंबिकापुर		
		12. सूरजपुर		
11.	कोरिया	13. पाल		
		14. बैकुण्ठपुर		
12.	कोरबा	15. कोरबा		
13.	बिलासपुर	16. गौरेला		
14.	जांजगीर—चांपा		7. रूकजा	
15.	रायगढ़	17. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर	
16.	जशपुर	18. जषपुरनगर	9. सरंगढ़	

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. छत्तीसगढ़ आदिवासी मंत्रणा परिषद का गठनः–

अनुसूचित जनजाति से संबंधित नीति विषयक अनुषंसा हेतु आदिवासी मंत्रणा परिषद का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वाा किया गया है । परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन तथा सदस्य माननीय मंत्री, आदिम जाति तथ अनुसूचित जाति विकास विभाग है । जनजाति के विधायकगण परिषद के सदस्य मनोनीत किये गये हैं । मंत्रणा परिषद की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित कई छोटी–बड़ी समस्याओं से संबंधित व नीतिगत निर्णय/अनुसंषायें की गई है ।

2. अनुसूचित जनजाति आयोग :–

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है । गठन की अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग के अधिसूचना कमांक 186/2000, दिनांक 12.11.2000 द्वारा जारी की गयी है । इस आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय, श्री राजेन्द्र पामभोई विधानसभा सदस्य बीजापुर मनोनीत हैं ।

आयोग के दायित्व–

1. अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, विकास केकार्यो का गुणात्मक मूल्यांकन करना ।
2. अनुसूचित जनजातियों के हितत संवर्धन के लिये उपयुक्त नीतिगत् अनुषंसाएं करना ।
3. स्वप्ररेणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्हीं भी मामलों का संज्ञान लेकर व इसके निष्कर्षो से शासन को अवगत करना ।

3. छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग :–

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेष कमांक डी–1932/2717/आ.जा.क –/2001, रायपुर दिनांक 12.07.2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग का गठन 12 जुलाई 2001 से किया गया है । आयोग के लिये मनोनीत अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. श्री इकबाल रिजवी, रायपुर–अध्यक्ष

ब. श्री रंजन दयाल,रायपुर सदस्य

स. श्री राजेन्द्र बेनीपाल, रायपुर सदस्य

4. राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडलः–

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी समस्त विषयों पर परामर्ष प्राप्त करने हेतु राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन छत्तीसगढ़ राज्य की अधिसूचना क्रमांक– 171/एस.टी./2000, रायपुर, दिनांक 5.12.2000 द्वारा किया गया । इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा उपाध्यक्ष माननीय मंत्री, आदिम जाति तथ अनुसूचित जाति, विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन है ।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल :–

राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समस्त विषयों पर परामर्ष प्राप्त करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल का गठन छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–4/25/आजाक/2000, दिनांक 16.1.2001 द्वारा किया गया । इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन तथा उपाध्यक्ष माननीयमंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ शासन हैं ।

6. हज कमेटी :–

राज्य शासन द्वारा हज कमेटी का गठन छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक–डी–1921/223/आजाक/2001, रायपुर, दिनांक 5.7.2001 द्वारा किया गया । कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री बदरूद्दीन कुरैषी, राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन हैं ।

7. वक्फ बोर्ड :–

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का गठन दिनांक 7.12.01 से अधिसूचना क्रमांक 5815/2/95/11/रायपुर दिनांक 11.12.01 द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया ।

महत्वपूर्ण विकास योजनाएं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पप संख्यक कल्याण विकास विभाग से विभिन्न कल्याणकारी विकासषील कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं । विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएं प्रमुख है । विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रों में शालाओं के संचालन के साथ विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन के साथ विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन एवं शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है । विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिये आर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास की योजनाएं भी संचालित की जा रही है ।

योजना क्रमांक–1 विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संस्था	संख्या
1.	कनिष्ट प्राथमिक/प्राथमिक शाला	12522
2.	माध्यमिक शालाएं	1928
3.	हाई स्कूल	291
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	281
5.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	05
6.	कन्या षिक्ष परिसर	03
7.	गुरूकुल परिसर	01
8.	खेल परिसर	11
9.	प्री मैट्रिक छात्रावास–विवरण निम्नानुसार है–	

वर्ग	बालक	बालिका	योग
आदिम जाति	591	95	686
अनुसूचित जाति	156	45	201
योग	**747**	**140**	**887**

10. पोस्ट मैट्रिक छात्रावास–विवरण निम्नानुसार है –

वर्ग	बालक	बालिका	योग
आदिम जाति	34	25	59
अनसुचित जाति	17	09	26
योग	**51**	**34**	**85**

11. आश्रम शालाएं–विवरण निम्नानुसार है–

	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर			
वर्ग	**बालक**	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**	
आदिम जाति	284	113	397	72	60	132	
अनुसूचित जाति		05	03	08	08	08	16
योग	**289**	**116**	**405**	**80**	**68**	**148**	

योजना कमांक–02 आवासीय संस्थाऐ एवं आश्रम

घर से दूर रहकर विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविध उपलब्ध करने के उद्देष्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाऐं संचालित की जा रही है । आश्रमों में कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती है । आश्रम परिसर में ही षिक्षकों, अधीक्षकों के लिये शासकीय आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है ।

आश्रम में प्रवेषित प्रत्येक छात्र/छात्रा को षिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होती है । बालकों को 350 रूपयें प्रतिमाह तथा बालिका को रूपये 360 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये षिष्यवृत्ति दी जाती है । इन्हें अतिरिक्त राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता होती है ।

इन संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेष आवष्यक परीक्षण के उपरांत संबंधित कलेकटर के द्वारा दी जाती है

योजना कमांक–3 सी.बी.एस.ई. पाठ्यकम

राज्य के पुनर्गठन के पष्चात् आदिवासी क्षेत्रों में षिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा मण्डल का पाठ्यकम लागू किया गया है । विभाग ने प्रथम चरण में 80 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा मण्डल से संबध्द किया है ।

योजना कमांक –4 राज्य छात्रवृत्ति (प्री मेट्रिक)

यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिये प्रोत्साहित करने के लिये10 माह हेतु राज्य शासन द्वारा दी जाती है । विभागीय प्री मेट्रिक छात्रावास 824 है । षिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की दर का विवरण निम्नानुसार है :–

कक्षा	षिष्यवृत्ति (कक्षा 1 से 8 तक)		प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका
	350 रू0 प्रतिमाह	360 रू0 प्रतिमाह	–	–
3 से 5	–	–	–	25 रू0 प्रतिमाह
6 से 8	–	–	30 रू. प्रतिमाह	40 रू. प्रतिमाह
9 से10	–	–	40 रू. प्रतिमाह	50 रू. प्रतिमाह

इसका लाभ नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके पालक आयकर सीमा में नहीं आते हैं अथवा दस एकड़ से अधिक की जमीन न हो, उन्हें ही लाभ दिया जाता है ।

योजना कमांक–5 मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को कक्षा 11 से स्नातकोत्तर पाठ्यकम तक जिसमें मेडिकल तथा इंजीनियरिंग षिक्षा भी शामिल हैं, में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है । यह छात्रवृत्ति भारत सरकार के अनुदान एवं राज्य सरकार की निधि से प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है ।

इस योजना में आय का बंधन है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्याार्थियों के पालक/अभिभावक की आय सीमा 100,000 से अधिक नहीं होना चाहिये । पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 9000 रू. तक होने पर पूर्ण एवं 9000 से 25,000 तक वार्षिक आय होने पर आधी छात्रवृत्ति की पात्रता है ।

योजना कमांक–06 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति

अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवारों के बच्चों के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत विषेष छात्रवृत्ति अतिरिक्त रूप से देय होते हैं । कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न दर अनुसार देय होती है :–

कक्षा	**छात्रावासी विद्यार्थी (प्रतिमाह)**	**गैर छात्रावासी विद्यार्थी (प्रतिमाह)**
1 से 5	–	40/–
3 से 8	300/–	–
6 से 8	–	60/–
9 से 10	375/–	75/–

इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को प्रतिवर्ष रूपये 500/– सहायक अनुदान भी प्रदान किया जाता है ।

योजना क्रमांक –07 छात्रगृह योजना

यह योजना हायर सेकण्डरी कक्षाओं से लेकर महाविद्यालयों में पढ़ने वाले इन छात्र/छात्राओं के लिये हैं जिन्हें छात्रवास में प्रवेष नहीं मिलता है । शहरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की आवास व्यवस्था के लिये विभाग किराये के मकान की व्यवस्था करता है ।

इस योजना का लाभ अनुसूतिच जाति व जनजाति के वे बालक उठा सकते हैं जो मान्यता प्राप्त संस्था से नियमित छात्र हैं और सरकार छात्रावासों में प्रवेष नहीं मिल पाया है । कक्षा 11 वीं 12 वीं के छात्र भी इस योजना के पात्र हैं । एक बार अनुर्तीर्ण छात्र को भी इसकी पात्रता है ।

योजना क्रमांक –08 विद्यार्थी कल्याण योजना

इस योजना में गरीब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आकस्मिक चिकित्सा, गणवेष एवं उनकी विभिन्न रूचियों को प्रोत्साहन देने के लिये तथा व्यवसायिक संस्थाओं में प्रवेष के लिये रू. 50 से लेकर रू. 500 तक की सहायता दी जाती है ।

योजना क्रमांक–09 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की कन्याएं जो पांचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी रखने के लिये छठवी में प्रवेष लेती हैं । उन्हें रूपये 500/– प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राषि दी जाति है । उक्त योजना में कन्याओं में साक्षरता की वृध्दि एवं पूर्ण षिक्षित बनाने के उद्देष्य से योजना का कियान्वयन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है ।

योजना क्रमांक–10 निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता प्रतिषत बढ़ाने तथा कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों में प्राथमिक षिक्षा के प्रोत्साहन के लिये पाठ्य पुस्तकों का निःषुल्क पुस्तकों का प्रदाय किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 की गणित अंग्रेजी और हिन्दी विषय की पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाती है ।

योजना क्रमांक–11 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक षिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिलाई जाती है । हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के लिये भरें गये फार्म तथा उसमें संलग्न जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर परिक्षण उपरांत योजना का लाभ दिया जाता है ।

योजना कमांक–12 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये कार्यरत् अषासकीय संस्थाओं (पंजीकृत) को योजनान्तर्गत सहायता अनुदान दिया जाता है । छात्रावास, बालवाड़ी, सिलाई केन्द्र आदि के लिये अनुदान का प्रावधान है ।

योजना कमांक–13 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र

विभाग के तत्वधान में भारतीय प्रषासनिक सेवाओं में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक चयन हेतु प्रषिक्षित करने के लिये प्रदेष स्तर पर अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केंद्र रायपुर में संचालित है । इस केंद्र में छात्रावास के सुविधा के साथ पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक एवं बालिकाओं को चयन के लिये तैयार करने, रायपुर,जगदलपुर एवं बिलासपुर में परीक्षा पूर्ण प्रषिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं । प्रषिक्षण अवधि में प्रति प्रषिक्ष्णार्थी को 350/– मासिक वृत्ति दी जाती है ।

योजना कमांक–14 प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को अधिकतम प्राविण्यता हासिल करने के लिये प्रोत्साहित करना है । यह छात्रवृत्ति माध्यमिक तथा हाई स्कूल स्तर पर दी जाती है । यह प्रावीण्य छात्रवृत्ति केवल उप विद्यार्थियों को ही नवीनकृत होगी जिन्हें प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण की है । इस छात्रवृत्ति के लिये कक्षा 5 वीं तथा 8 वीं की परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त होने पर प्रावीण्यता कम के आधार पर दी जावेगी । यह छात्रवृत्ति लगातार उत्तीर्ण होने पर हाई स्कूल तक प्रदान की जाती है ।

योजना कमांक–15 नेहरू प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को षिक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार दिया जाता है ।

यह योजना कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड की परीक्षा की प्रावीण्य सूची के स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिये लागू है । सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी को रू. 5000/– का नगद पुरस्कार तथा एक प्रषस्ति पत्र प्रदान किया जाता है । यदि वर्ग का विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में स्थान नहीं पाता है तो प्रदेष में सर्वाधिक अंक पाने वाले किसी एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/– का पुरस्कार एवं प्रषस्ति पत्र प्रदान किया जाता है ।

प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक आदिम जाति एवं एक अनुसूचित जाति के छात्र को एवं एक आदिम जाति एवं एक अनुसूचित जाति के छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर रू. 1000/- का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ।

योजना कमांक-16 निः शुल्क गणवेश प्रदाय योजना

प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को गणवेष प्रदाय कर षिक्षा के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । प्रत्येक प्राथमिक शाला में नियमित अध्ययनरत् समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति छात्राओं के लिये यह योजना कियान्वित हैं ।

योजना कमांक-17 आगमन भत्ता

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेष पाने वाले छात्र/छात्राओं को उनके निजी उपयोग में आने वाली सामग्री प्रदाय करने के स्थान पर आगमन भत्ता प्रदाय किया जाता है । आगमन भत्ता की दरें निम्नानुसार है :-

1.	छात्रावास में प्रवेष के प्रथम वर्ष में	रूपये 800/-
2.	छात्रावास में प्रवेष के द्वितीय वर्ष में	रूपये 250/-
3.	छात्रावास में प्रवेष के तृतीय वर्ष में	रूपये 200/-
	योग	**1250/-**

यह भत्ता पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेष प्राप्त करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के लिये है ।

योजना कमांक-18 विशिष्ट शैक्षणिक संस्थायें

षिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा प्रतिभावान आदिवासी बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या षिक्षा परिसर एवं गुरूकुल विद्यालय स्थापित किये गये हैं । इसमें चयन कक्षा 5 वीं, 6 वीं एवं 10 वीं बोर्ड के बोर्ड के प्राप्तांको के आधार पर संभागीय स्तर पर किया जाता है, वर्तमान में राज्य में आदर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-05, कन्या षिक्षा परिसर- 03, एवं गुरूकुल विद्यालय-01 संचालित हैं ।

योजना कमांक-19 कीड़ा परिसर

आदिवासी विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा विकसित करने की दृष्टि से राज्य में 11 कीड़ा परिसर संचालित है । उक्त परिसर में चयन खेल विधाओं में प्रावीण्यता के आधार पर किया जाता है ।

योजना कमांक–20 बुक बैंक योजना

राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग, पषु चिकित्सा, कृषि, पालिटेनिक महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/ जनजाति के 2 विद्यार्थियों के बीच किताबों के एक सेट को पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये प्रदाय किया जाता है । तीन वर्षों पष्चात् ये सेट संस्था के पुस्तकालय में रखा जाता है, एवं छात्रों को नये सेट प्रदान किये जाते हैं ।

योजना कमांक–21 मध्यान्ह भोजन कार्यकम योजना

प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृध्दि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना लागू की गई है । भोजन की मात्रा 100 ग्राम पका, गर्म भोजन प्रति विद्यार्थी दिया जाता है ।

योजना कमांक–22 इन्दिरा सूचना शक्ति

21 वीं सदी में कम्प्यूटर को सूचना शक्ति के रूप में देखा जा रहा है । इस कम में विभागीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं को कप्यूटर तकनीकी के प्रषिक्षण की योजना बनाई गयी है । इस योजना का नाम इन्दिरा सूचना शक्ति दिया जाता है ।

इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्राओं एवं पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को निःषुल्क प्रषिक्षण की व्यवस्था है । इस प्रषिक्षण पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा व्यय किया जाता है ।

योजना कमांक–23 विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

इस योजना के अधीन अनुसूचित जाति के विधि स्नातकों को विधी व्यवसाय में सुप्रषिक्षित जीवन व्यतीत करने के लिये प्रेरित किया जाता है । विधि स्नातकों का आर्थिक सहायता के लिये चयन बार एसोषिएसन की अनुषंसा पर किया जाता है । जिला अध्यक्ष द्वारा परीक्षण पष्चात् विधि स्नातक को रू. 200/– प्रतिमाह की सहायता एक वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है ।

योजना कमांक–24 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिये प्रषिक्षण सह उत्पदन केन्द्रों में कम पढ़े लिखे युवाओं को एक वर्ष का प्रषिक्षण दिया जाता है । यह प्रषिक्षण बढ़ईगिरी , टेलरिंग, कुम्हार, हाथकरघा, टाटपट्टी निर्माण, बांस उद्योग और चर्म षिल्प में दिया जाता है । प्रषिक्षण अवधि में प्रति प्रषिक्षणर्थी पुरूष को रूपये 250/– तथ महिला को रूपये 260/– प्रतिमाह षिष्यवृत्ति और प्रषिक्षण के औजार उपकरण अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । वर्तमान में राज्य में प्रषिक्षण के औजार उपकरण अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । वर्तमान में राज्य में प्रषिक्षण सह उत्पादन केन्द्र सारंगगढ़, जषपुर,सरिया, दन्तेवाड़ा, कांकेर, नगरी, और नारायणपुर में संचालित है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है । और रोजगार करने के इच्छुक हैं उन्हें उनकी योग्यता एवं इच्छा अनुसार उक्त संस्था द्वारा प्रषिक्षण दिया जाता है ।

राज्य शासन के आदेष दिनांक 4.3.03 द्वारा उक्त केन्द्रों का विलय छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी, सहकारी, वित्त एवं विकास निगम में किया गया है तथा इस निगम में छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी उद्यमी प्रषिक्षण प्रभाग निर्मित कर योजना का पुनः संचालन किया जा रहा है ।

योजना कमांक–26 छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सभी वर्ग के विकलांग, बेरोजगार युवक/युवितयों को स्वरोजगार के लिये ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराना निगम का लक्ष्य है । राज्य के प्रत्येक जिलों में अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति का कार्यालय है । इस कार्यालय द्वारा षिक्षित/अषिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के युवक/युवतियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम नई दिल्ली से योजना स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यालयों में पंजीकृति बेरोजगार (युवक/युवतियों) का चयन लाटरी पध्दति से समिति द्वारा किया जाता है । प्रदाय ऋण में हितग्राही का अंषदान भी सम्मिलित किया जाता है । नाबार्ड योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है ।

स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक, युवतियों को रूपये 35,000 ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

योजना कमांक–27 प्रतिष्ठा योजना

प्रतिष्ठा योजना (राष्ट्रीय कार्यकम) में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय कुप्रथा को शीघ्र समाप्त करने के लिये सफाई कामगारों की मुक्ति और उनके पुनर्वास, सम्मानजनक जीवन जीने के लिये उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने, भविष्य में उनके बच्चों और आश्रितों को उनके पारस्परिक और निष्कृष्ट धंधों से पूर्णतः विरक्त रखाने के लिये रोजगारोन्मुखी प्रषिक्षण देने तथा उनकी वर्तमान असहनीय जीवन परिस्थितियां का ज्ञान दीप जलाकर सहनीय बनाने के लिये ''प्रतिष्ठा'' नाम से व्यापक कार्यकम तैयार कर उस पर अमल किया जा रहा है । उक्त योजना का संचालन जिला स्तर पर अन्त्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अंतर्गत गठित समिति द्वारा किया जा रहा है ।

योजना क्रमांक–28 कृषि विकास कार्यक्रम

अनुसूचित जातियों का व्यवसाय प्रमुख रूप से कृषि आश्रित है । इन्हें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने से यह लोग अपनी भूमि से अधिकाधिक फसल नहीं ले पाते हैं । अतः अपनी कृषि भूमि पर अधिक से अधिक फसल लेने वं आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से सामान्य कृषि कार्यक्रम में अधिक फसल लेने के उद्देश्य से कृषकों के लिये अन्त्यावसायी सहकारी वित्त निगम के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं के लिये अनुदान दिया जाता है –

1. सिंचाई कूपों की मरम्मत
2. पुराने कुओं की मरम्मत
3. डीजल तथा विद्युत पंपों का प्रदाय
4. रेहट योजना

योजना क्रमांक–29 अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास

विषेष धटक योजना के अधीन अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास योजना राज्य में संचांलित की गई है । अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में पहुंच मार्ग का निमार्ण एवं मरम्मत,पुलियों का निर्माण, पक्की नालियों का निर्माण, सामुदायिक भवन, पेय जल व्यवस्था, गुमठियों का निर्माणा आदि कार्य सम्मिलित हैं ।

योजना क्रमांक–30 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनाबध्द राशि से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाऐं

विभागीय योजनाओं की प्रकिया का विकेन्द्रीयकरण करने की दृष्टि में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनाबध्द राषि के नाम से प्रावधानित की गई है इस योजना में पेयजल नाली निर्माण, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवन, छात्रावास/आश्रमों में सामग्री की पूर्ति, सामूहिक सिंचाई योजना आदि योजनाओं का संचालन किया जाता है ।

योजना क्रमांक–31 छात्रावास/आश्रम/शाला भवनों का निर्माण

विभाग द्वारा संचालित/आश्रम शाला भवनों का निर्माण एवं उनका रखरखाव किया जाता है । जिलों से भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के भवनों का निर्माण प्रथमतः किया जाता है । निर्माण के लिये स्थान का चयन क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

योजना कमांक–32 नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेष के पुराने जिलों से विषेष न्यायालय संचालित है । सम्प्रेरित अपराध एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के लिये विषेष थाने स्थापित किये गये हैं । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रदेष के समस्त जिला एवं सत्र न्यायधीषें को निर्देषित किया जाता है ।

योजना कमांक–33 अनुसूचित जाति,जनजाति आकस्मिकता नियम 1995

सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा ऐसी योजनार्त्गत जरूरतमंद परिवारों को तुरंत राहत देने के उद्देष्य से सहायता दी जाती है । वे सदस्य अपनी विपन्नता अथवा असहृय अवस्था के कारण संकट में होते हैं, तथा तत्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं से लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं, उन्हें इस योजना में त्वरित सहायता/राहत प्रदान की जाती है । तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संरक्षण दिया जाता है ।

योजना कमांक–34 अस्पृश्यता निवारणार्थ पंचायत पुरस्कार

इस योजना के अधीन ग्राम पंचायतों को अस्पृष्यता निवारण की दिषा में उत्कृष्ट कार्यो के लिये पुरस्कृत किया जाता है । इसमें अनुसूचित जाति की बस्तियों में विकास कार्य, विद्युतीकरण के कार्य भी सम्मिलित हैं ऐसी पंचायत के उत्कृष्ट कार्यो का जिला स्तर संभाग स्तर तथा राज्य स्तर पर मूल्यांकन कर नगद पुरस्कार दिये जाते हैं । यह पुरस्कार जिला स्तर पर रूपये 5000, संभाग स्तर पर 10,000 रूपये, एवं राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत को रूपये 3,20 हजार तथा द्वितीय कम की पंचायतों का रू. 15 हजार राषि से पुरस्कृत किया जाता है । अस्पृष्यता उन्मूलन की दिषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें इस पुरस्कार की पात्र हैं ।

योजना कमांक–35 दाई प्रोत्साहन योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति कार्य कराने में अनुसूचित जाति परिवार की महिलायें दाई का कार्य करती हैं । राज्य शासन प्रसूति कार्य संपन्न कराने वाली महिलाएं (दाईयों) को प्रति प्रसूति 25/– रूपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक राषि भुगतान करता है । यह राषि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जानकारी पर जिलाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति की जाती है ।

योजना कमांक–36 निःशुल्क कानूनी सहायता योजना

राज्य में निर्धन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विधि व्यवसायी द्वारा शासन की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे वह न्यायालय में दायर वाद का निराकरण करा सके ।

योजना कमांक– अस्वच्छ धंधों का व्यवसायी करण

इस योजना के निम्नलिखित उद्देष्य निम्नानुसार है :–

1. सूखे शौचालयों को फ्लैष में परिवर्तित करना ।
2. कचरा मैला गाड़ी (6 टायर वाल गाड़ी/ट्राली) कय करना ।
3. व्हील बेरोज एवं मैला सफाई के औजाों का कय करना ।
4. सेप्टीक टंकी तथा नाली सफाई हेतु मषीनों का कय करना ।
5. सफाई कामगारों के लिये गमबूट, दस्तने एवं पंजे कय करना ।
6. झूलाघर का निर्माण ।
7. मृत मवेषी के चमड़ा निकालने के लिये शेड का निर्माण ं
8. सेप्टिक टंकी का निर्माण ं
9. परिवार मूलक कार्यकम में बैलागाड़ी, बैलाजोड़ी प्रदाय करना ।
10. अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के प्रायमरी स्कूलों के बच्चों के लिये गणवेष प्रदाय करना ।
11. अन्य कोई भी कार्य जो इनके जीवन स्तर पर एवं कार्यप्रणाली में सुधार ला सके ।

योजना कमांक–38 अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार

इस योजना में ऊंच–नीच और छुआछूत के विचारों तथा योजनाओं को नष्ट करने की दिषा में सवर्ण युवकों अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवती तथा युवक के विवाह करने पर ऐसे दम्पत्तियों को पुरस्कार तथा सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष ऐसी साहसी दम्पत्तियों को पांच हजार रूपये का नगद पुरस्कार, स्वर्ण पदक एवं प्रषस्ति पत्र तथा यात्रा व्यय दिया जाता है । यह सम्मान जिला स्तर पर सम्पन्न होते हैं ।

योजना कमांक–39 सामूहिक विवाह योजना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देने की योजना है । इसके अंतर्गत आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, साहूकारों कर्ज से बचाव व फिजूल खर्चो से छुटकारा दिलाने के लिये संचालित है । उक्त योजना का लाभ गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को दिया जाता है ।

योजना कमांक–40 गुरूघासी दास पुरस्कार

यह पुरस्कार प्रति वर्ष ऐसे व्यक्तियों/स्वैच्छिक संस्था को प्रदाय किया जाता है । जिसने सामाजिक चेतना जागृत करना एवं दलितों के उत्थानों के लिये उत्कृष्ट कार्य किया जाता है ।

योजना कमांक–41 सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

यह योजना पिछड़ा वर्ग के व्यापक सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराब खोरी, जुआ खोरी, जादू टोना, अंधविष्वास आदि को दूर करने के लिये संचालित है ।

पंजीकृत अषासकीय संस्थाओं को पिछड़ा वर्ग में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां उन्मूलन के प्रचार प्रसार के लिये निम्नानुसार राषि स्वीकृत की जाती है ।

1. नाटक, गोष्टी, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन हेतु अधिनियम धन राषि रू. 15000 तक ।
2. प्रदर्षनी (पोस्टर, स्टीकर, साहित्य) के लिये अधिकतम धन राषि रू. 2000/– तक ।
3. सामाजिक षिक्षा, नारी जागरण, महिलाओं में षिक्षा के प्रति चेतना जागृत करने हेतु कार्यकमों के आयोजन के लिये अधिकतम धन राषि रू. 1500/– तक ।

योजना कमांक–42 शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार योजना

यह पुरस्कार लोककला महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष दिनांक 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के जन्म स्थान ग्राम सोनाखान, विकास खंड कसडोल जिला–रायपुर में आदिवासी दलों को दिया जाता है ।

1.	प्रथम पुरस्कार	रू. 1,00,000/–
2.	द्वितीय पुरस्कार	रू. 50,000/–
3.	तृतीय पुरस्कार	रू. 25,000/–
4.	शेष जिलों से आये नृतक दलों को	रू. 10,000/–

इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सामाजिक चेतना जागृत करने सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को 2.00 लाख रूपये का नगद पुरस्कार एवं ताम्र प्रषस्ति पत्र दिया जाता है ।

वर्ष 1981 जनगणना के आधार पर प्रमु,ख जनजातियां
(1000 से उपर जनसंख्याऐं)

सरगुजा	–	अगरिया, बैगा, बारिया, बिआर, बिंजवार, गोण्ड, धनवार कंवर, कंवर, कोल, मांझी, मंझवार, नगेषीया, उरांव, सौता ।
बिलासपुर	–	अगरिया, बैगा, भैना, भरिया, बिजवार, धनवार, गदवा, गोण्ड, कंवर, कोल, मांझी, मझवार, उरांव, प्रधान, पारधी, सौता, सवर
राययगढ़	–	अगरिया, भैनस, भरिया, बिजंवार, धनवार गोण्ड, कंवर, खरिया, कोरवा, मांझी, मझवार, नगेषीया, उरांव, सौर/सौरा ।
राजनांदगांव	–	बैगा, गोण्ड, हलवा, कंवर ।
दुर्ग	–	गोण्ड, हलवा, हलवी, कंवर, पारधी ।
रायपुर	–	भुजिया, बिजवार, धनवार गोण्ड, हलवा, हलवी, कमान, कंवर, खरिया, कांध/कंध, सौर, सवरा, सौरा, सोंर ।
बस्तर	–	भतरा, बतरा, गदया, गोण्ड, हलवा, कंवर, कमार, पारधी, मजरा, सवर ।

छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण प्रभागः–

व्यवसायिक तकनीकी के प्रषिक्षण से अन्त्यावसायी वर्ग के युवक युवतियों को स्वरोजगार/रोजगार उपलब्ध कराने व ''हुनर जिसके हाथ, रोजकार उसके साथ '' रोजगार सृजन की धारा में अन्त्यवसायी उद्यमी प्रषिक्षण प्रभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पहल कर रहा है ।

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग के उद्यमियों में विभिन्न प्रषिक्षणों के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार विकसित कराना अन्त्यवसायी उद्यमी प्रषिक्षण प्रभाग का प्रमुख लक्ष्य है ।

अन्त्यावसायी उद्यमी प्रषिक्षण प्रभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 15 केन्द्रों की स्थापना की गई है, जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	**केन्द्र का स्थान**	**केन्द्र**	**जिला**
1.	जगदलपुर	2	बस्तर
2.	कोण्डागांव	1	बस्तर
3.	नारायणपुर	1	बस्तर
4.	दुर्ग	1	दुर्ग
5.	कुनकुरी	1	जषपुर
6.	रतनपुर	1	बिलासपुर
7.	दन्तेवाड़ा	1	दन्तेवाडा
8.	नगरी	1	धामतरी
9.	अम्बिकापुर	1	सरगुजा
10.	सारंगढ़	1	रायगढ़
11.	जषपुर	1	जषपुर
12.	सरिया	1	रायगढ़
13.	कांकेर	1	कांकेर
14.	रायगढ़	1	रायगढ़

उपरोक्त केन्द्र पर अलग–अलग व्यवसायों में प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख है कोसा केन्द्र, वूड क्राफ्ट, रेडियो, टीवी रिपेयरिंग, मोटर पम्प रिपेयरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर, टाटपट्टी, सिलाई, कढ़ाई–बुनाई, आदि । प्रषिक्षणार्थियों को दो व्यवसायों में प्रत्येक में छः माह का अर्थात् कुल एक वर्ष का प्रषिक्षण दिया जाता है ।

सी0बी0एस0ई पाठ्यक्रम लागू संस्थाओं की सूची

क0	जिला	मान्यता क0	संस्था का नाम
1.	रायपुर	10217	1.1 शा. बालक उ.मा. वि. गरियाबंद
		10218	1.2 शा. कन्या उ.मा.वि. गरियाबंद
		10278	1.3 शा.उ.मा.वि. छुरा
		10279	1.4 शा. उ.मा.वि. मैनपुर
		10280	1.5 शा.उ.मा. वि. पांडुका
2.	दुर्ग	10201	2.1 शा. आदर्ष उ.मा. वि. डौंडी
		10202	2.2 शा. बालक उ.मा. वि. डौंडी
		10203	2.3 शा. कन्या उ.मा. वि. नगरी
3.	धमतरी	10219	3.1 शा. बालक उ.मा. वि. नगरी
		10220	3.2 शा. मिश्रीदेवी कन्या उ.मा.वि. नगरी
		10221	3.3 शा.उ.मा. बेलरगांव
		10222	3.4 शा.उ.मा.वि. सिहावा
4.	राजनांदगांव	10204	4.1 शा.कन्या षिक्ष परिसर, चौकी
		10205	4.2 शा. बालक उ.मा. वि. चौकी
		10206	4.3 शा. उ.मा. वि. मानपुर
5.	बिलासपुर	10237	5.1 शा. गुरूकुल उ.मा. पेण्ड्रा रोड
		10238	5.2 शा. बालक उ.मा. वि. गौरेला
		10239	5.3 शा. कन्या उ.मा.वि. गौरेला
		10240	5.4 शा. बालक उ.मा.वि. मरवाही
		10241	5.5 शा. कन्या उ.मा. वि. मरवाही

6.	जषपुर नगर	10247	6.1 शा. आदर्श उ.मा.वि. जषपुर नगर
		10248	6.2 शा. बालक उ.मा. वि. जषपुर नगर
		10249	6.3 शा. एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि. जषपुर नगर
		10250	6.4 शा. बालक उ.मा. वि. कुनकुरी
		10251	6.5 शा.कन्या उ.मा.वि. दुलदुला
		10252	6.6 शा. बालक उ.मा. वि. महादेवडांड
7.	कोरबा	10207	7.1 शा. बालक उ.मा. वि. कटघोरा
		10208	7.2 शा. कन्या उ.मा.वि. कटघोरा
		10209	7.3 शा.उ.मा.वि. पसान
		10210	7.4 शा.उ.मा.वि. रामपुर
		10211	7.5 शा.उ.मा.वि. छुरी
		10212	7.6 शा.उ.मा.वि. सरगबुदिया
		10213	7.7 शा.उ.मा.वि. हल्दीबाजार
		10214	7.8 शा.उ.मा.वि. भिलाई बाजार
		10215	7.9 शा. उ.मा.वि. भैंसमा
		10216	7.10 शा. उ.वि. पौंडी उपरोड़ा
		10217	7.11 शा.उ.माा.वि. कोरबा
8.	कोरिया	10223	8.1 शा. बालक उ.मा. वि. मनेन्द्रगढ़
		10224	8.2 शा. कन्या उ.मा. वि. बैकुंठपुर
		10225	8.3 शा. आदर्श उ.मा.वि. मनेन्द्रगढ़
		10226	8.4 शा.उ.मा.वि. बड़ाबाजार चिरमिरी
		10227	8.5 शा.कन्या उ.मा.वि. बड़ाबाजार चिरमिरी
		10228	8.6 शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी
		10229	8.7 शा.उ.मा.वि. चरचाकालरी
9.	रायगढ़	10242	9.1 शा. बालक उ.मा.वि. घरघोड़ा
		10243	9.2 शा.कन्या उ.मा.वि. धरमजयगढ़

		10244	9.3 शा.उ.मा.वि. उरबा
		10245	9.4 शा.उ.मा.वि. सोण्डका
		10246	9.5 शा.उ.मा.वि. लैलूंगा
10.	सरगुजा	10230	10.1 शा. कन्या षिक्षा परिसर अंबिकापुर
		10231	10.2 शा. बालक उ.मा.वि. सीतापुर
		10232	10.3 शा. कन्या उ.मा.वि. दरिमा
		10233	10.4 शा. कन्या उ.मा. वि. विश्रामपुर
		10234	10.5 शा. बालक उ.मा.वि. दरिमा
		10235	10.6 शा. बालक उ.मा.वि. राजपुर
		10236	10.7 शा.उ.मा.वि. शंकरगढ़
11.	बस्तर	10263	11.1 शा. कन्या षिक्षा परिसर परचमपाल
		10264	11.2 शा. एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि. जगदलपुर
		10265	11.3 शा. बालक उ.मा.वि. कोण्डागांव
		10266	11.4 शा.उ.मा. कन्या कोण्डागांव
		10267	11.5 शा.उ.मा. वि. फरसगांव
		10268	11.6 शा.उ.मा.वि. नारायणपुर
		10269	11.7 शा. उ.मा.वि. लोहांडीगुड़ा
		10270	11.8 शा.उ.मा.वि. ताकोपाल
		10271	11.9 शा.उ.मा.वि. भानपुरी
		10272	11.10 शा.उ.मा.वि. बकावंड
		10273	11.11 शा.उ.मा.वि. केषकाल
		10275	11.12 शा.उ.मा.वि. फरसगांव
12.	दन्तेवाड़ा	10259	12.1 शा.उ.मा.वि. गीदम
		10260	12.2 शा.उ.मा.वि. भैरमगढ़
		10261	12.3 शा.उ.मा.वि. बचेली
		10262	12.4 शा.उ.मा.वि. छिंदगढ़

		10274	12.5 शा. आदर्श उ.मा. वि. दंतेवाड़ा
		10276	12.6 शा.उ.मा.वि. बीजापुर
13.	कांकेर	10253	13.1 शा.उ.मा.वि. नरहरदेव, कांकेर
		10254	13.2 शा.उ.मा.वि. नरहरदेव, कांकेर
		10255	13.3 शा. बालक उ.मा.वि. चारामा
		10256	13.4 शा. भारती उ.मा.वि. कांकेर
		10257	13.5 शा. कन्या उ.मा. वि. चारामा
		10258	13.6 शा.उ.मा.वि. भानुप्रतापपुर

विभाग द्वारा संचालित शालाएें

क्र0 वि.	जिले का नाम	प्राथ.शाला	माध्य.शाला	हाई स्कूल	उच्च.मा.
1.	रायपुर	247	60	10	13
2.	दुर्ग	206	41	8	8
3.	धमतरी	291	60	3	7
4.	राजनांदगांव	508	103	9	16
5.	बिलासपुर	473	86	17	17
6.	कोरबा	1095	172	23	37
7.	सरगुजा	2014	390	56	42
8.	कोरिया	616	114	15	15
9.	रायगढ़	583	129	21	19
10.	बस्तर	2263	280	56	43
11.	दन्तेवाड़ा	1677	179	14	19
12.	कांकेर	1246	145	37	21
13.	जषपुर	1003	169	22	24
	योग	**12522**	**1928**	**291**	**281**

विभाग द्वारा संचालित छावावास/आश्रमों की जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	अनसूचित जाति								अनसूचित जनजाति							
		पो. मै. छात्रावास		प्री. मै. छात्रावास		प्राथ. स्तर आश्रम		माध्य. स्तर आश्रम		पो.. मै. छात्रावास		प्री.मै. छात्रावास		प्राथ. स्तर आश्रम		माध्य. स्तर आश्रम	
		बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रायगढ़	01	01	12	01	01	—	01	—	03	04	41	05	02	02	1	08
2	कोरिया	—	—	03	01	—	—	—	—	02	01	24	05	07	06	—	01
3	कवर्धा	—	—	06	03	—	—	—	—	01	—	07	02	08	04	02	02
4	कोरबा	—	01	06	01	—	—	—	—	03	02	60	10	13	06	06	10
5	सरगुजा	—	—	04	01	—	—	—	—	01	01	89	15	39	17	04	05
6	राजनांदगांव	02	01	08	03	—	—	01	—	03	03	31	02	—	—	07	07
7	दुर्ग	02	01	14	02	—	—	—	01	02	01	41	07	—	—	09	06
8	महासमुन्द	—	—	11	01	01	01	01	—	01	—	29	02	07	06	03	03
9	कांकेर	—	01	01	01	—	—	—	—	02	01	53	11	—	10	08	02
10	धमतरी	01	—	04	02	—	—	—	—	—	—	14	02	0103	01	—	—
11	जशपुर	—	01	01	—	—	—	—	—	04	01	57	06	10	12	4	3
12	बिलासपुर	03	01	22	10	02	—	—	01	03	03	40	06	26	02	—	—
13	जांजगीर	02	—	31	07	01	02	02	—	—	—	06	—	—	—	02	—
14	दंतेवाड़ा	—	—	02	01	—	—	—	—	03	—	56	12	87	25	04	02
15	जगदलपुर	01	—	—	01	—	—	03	—	03	05	74	08	80	14	04	04
16	रायपुर	05	02	31	09	—	—	—	06	04	03	36	02	04	06	07	07
	योग	17	09	156	45	05	03	08	08	34	25	591	95	284	113	72	60

1.	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	85
2.	प्री. मैट्रिक छात्रावास	887
3.	प्राथमिक स्तर आश्रम	405
4.	माध्यमिक स्तर आश्रम	148